UPSI010019092026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।
उपस्थित : आशीष जैन, एच.जे.एस.
जमानत प्रार्थनापत्र सं0 358/2026
सी.आई.एस. नं.–832/2026

अनूप कुमार पुत्र स्व0 राधेश्याम निवासी सिकटिहा सहरोई थाना इमलिया सुल्तानपुर जिला सीतापुर। आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार। अभियोजक।

मु0अ0सं0: 30/2026
धारा : 326(एफ),324(2),105, 115(2),118(1) बी.एन.एस
थाना : इमलिया सुल्तानपुर
जिला : सीतापुर

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

मु0अ0सं0 30/2026 अर्न्तगत धारा 326(एफ),324(2),105,115(2),118(1) बी.एन.एस थाना इमलिया सुल्तानपुर जिला सीतापुर से सम्बन्धित आवेदक/अभियुक्त अनूप कुमार की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र पर विद्वान अधिवक्ता आवेदक/अभियुक्त व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्को को सुना एंव पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक् रूप से परिशीलन किया।

जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथकर्ता आदेश कुमार द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो इस न्यायालय के समक्ष और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दिया गया है और न ही विचाराधीन है और न निरस्त हुआ है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादिनी की ओर से लिखित तहरीर इस आशय की दी गयी कि दिनांक 06.02.2026 को समय करीब 9 बजे रात्रि को प्रार्थिनी का लड़का अनूप कुमार शराब के नशे में घर पर आया और अपनी मोटर साइकिल में आग लगा दिया तथा मोबाइल भी तोड़ दिया। यह सब देखकर प्रार्थिनी के जेठ गंगाराम ने मना किया तो अनूप ने गंगाराम को सर पर हथौड़ी व हसिया से मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में गंगाराम को सी०एच०सी० ऐलिया ले गये, जहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वादिनी मुकदमा की तहरीर के आधार पर सम्बंधित थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया ।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत के संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को उसकी माता द्वारा नामजद किया गया है, क्योंकि प्रार्थी नशा करता है, जिससे उसकी माँ नाराज रहती है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से लिखाई गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई घटना कारित नहीं की है, उसे झूंठा नामजद कर दिया गया है। उपरोक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने की याचना की गयी।

Digitally signed by Ashish Jain
Date: 2026.04.01 17:29:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Stp

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 द्वारा जमानत का विरोध करते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रथमदृष्टया स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। वादिनी मुकदमा उसकी माता है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व आरोप है कि उसके द्वारा शराब के नशे में अपनी मोटर साइकिल में आग लगाने तथा मोबाइल तोड़ने पर वादिनी मुकदमा के जेठ गंगाराम द्वारा मना किये जाने पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा गंगाराम के सर पर हथौड़ी से मारकर गम्भीर रूप से घायल किये जाने का उल्लेख है तथा तथा दौरान इलाज ले जाते समय रास्ते में मजरूब की मृत्यु होना बताया गया है। मृतक गंगाराम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में **Injury No.1** LACERATED WOUND 3.0CMX 2.0CMX BONEDEEP PRESENT OF RIGHT TEMPORAL SIDE 4.0CM ABOVE RIGHT EAR, UNDER LYING BONE FRACTURED **Injury No. 2** LACERATED WOUND 2.0CM X 1.0CM PRESENT ON DORSAL ASPECT OF RIGHT RING FINGER का उल्लेख है। मृत्यु का कारण कोमा एवं एंटीमार्टम हेड इंजरी दर्शित है। फर्द बरामदगी में कथित घटना में प्रयुक्त हथौडी अभियुक्त की निशादेही पर बरामद किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त की घटना में विशिष्ट भूमिका का भी उल्लेख है। ऐसी स्थिति में अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रस्तुत मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बगैर गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नही है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त अनूप कुमार द्वारा मु0अ0सं0 30/2026 अर्न्तगत धारा 326(एफ),324(2),105,115(2),118(1)बी.एन.एस थाना इमलिया सुल्तानपुर जिला सीतापुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक : 01.04.2026

(आशीष जैन)
सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।
J.O.Code-UP -2024

अजीत.